कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, सासाराम

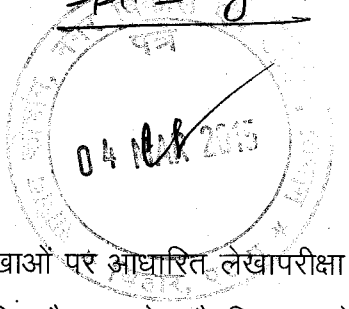

महाशय,

नगर परिषद, सासाराम के वर्ष 2012–13 से 13–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 807 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14488/2246 दिनांक– 28.02.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, रोहतास

28/02/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–807 / 14–15

भाग– I

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर परिषद, सासाराम
2. लेखा की अवधि :– 2012–13 एवं 2013–14
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जाँच किए गए पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत जिनकी जांच नहीं की गई की ऐसे अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 11.09.14 से 25.09.14
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
क) श्रीमती नाजिया बेगम	01.04.2012 से 31.03.2014 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम	अवधि
क) श्री चन्दशेखर सिंह	01.04.2012 से 31.03.2014 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
श्री प्रहलाद लाल, उपसमाहर्त्ता	19.06.2010 से 15.02.2014 तक
श्री नीरज कु0 झा, नगर प्रबंधक	15.02.2014 से 18.02.2014 तक
श्री राजीव रंजन प्रकाश बि0प्र0से0	19.02.2014 से 31.03.2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री शिवराम (ले0प0)
2. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
3. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
4. श्री राजेश कुमार–III (स0ले0प0अ0)

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम–** .....

8 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन–** प्रस्तुत नहीं

9 **अंकेक्षण टिप्पणी–** नगर परिषद, सासाराम की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृत्ति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर परिषद, सासाराम प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाएँ। वसूली गयी राशि को ससमय जमा नहीं किया जा रहा था।

अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद प्रशासन द्वारा लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई** – हाँ (25.09.14)

11 लेखापरीक्षा का परिणाम –

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹7410678.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹587000.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर है।

12 **बजट**

बिहार नगरपालिका आधिनियम –2007 की धारा –84 के भाग (1) के अनुसार नगर निकाय द्वारा तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है। भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जायेंगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च –31 के पहले निकाय को भेजे जायेंगे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

1. लेखापरीक्षा में उपलब्ध 2012–13 एवं 2013–14 के बजट की नमूना जॉच में पाया गया कि बजट 2012–13 के लिए पत्रांक– 712, दिनांक 30.03.12 एवं बजट 2013–14 के लिए पत्रांक– 800 दिनांक– 25.03.13 को भेजा गया, सरकार को बजट 15 मार्च तक भेज देनी थी। बजट विलंब से भेजा गया।
2. सरकार द्वारा बजट स्वीकृत कर नगर निकाय को वापस भेजा गया या नहीं यह अस्पष्ट था।
3. बजट के अनुसार व्यय शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न मद में संभावित व्यय को दर्शाया गया है।

क0सं0	मद	2012–13 (संभावित व्यय)	2013–14 (संभावित व्यय)	वास्तविक व्यय
1	बड़ा नाला सफाई	700000	1500000	0
2	स्टैण्ड पोस्ट एवं जलापूर्ति योजाना	300000	200000	0
3	शहरी जलापूर्ति योजना	300000	1000000	0
4	नया चापाकल लगाने पर न0प0 कोष	1000000	1000000	0
5	रैन बसेरा निर्माण	1500000	1000000	0

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संभावित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय शून्य है। जो बजट की स्थिति से परे है। आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) अन्य सामयिक कार्यो में व्यस्तता के कारण बजट सरकार के पास भेजने में विलम्ब हुआ इसे भविष्य के लिये अंकित किया जाता है।

(ii) सरकार से बजट अनुमोदित होकर प्राप्त नहीं है।

आगामी कार्यक्रमों/योजनाओं के दृष्टिकोण से संभावित बजट तैयार किया जाता है। अंकेक्षण टिप्पणी को भविष्य के लिये अंकित किया जा रहा है।

अतः भविष्य में बनाये जाने वाले बजट को ससमय तैयार कर सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

13. टिप्पणी – वित्तीय विवरण और बैलेंश शिट :– इसे तैयार नहीं किया गया था।

14. आय– व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल. खाता)–

आय– व्यय

लेखापरीक्षा में उपलब्ध पी.एल. रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही के तैयार किए गए आय– व्यय (विवरणी संलग्न) में निम्न तथ्य पाए गए–

1. क0सं0 (1) एन0एस0डी0पी0 मद के अंतर्गत 2012–13, 2013–14 में कोई व्यय नहीं किया गया था, और राषि अवरोधित कर रखी गई थी।
2. क0सं0 (4), क0सं0(8) के 31.03.14 के बैंक पासबुक एवं कैशबुक के अंतर का समाधान नहीं था।
3. नगर निधि कैशबुक में प्राप्ति एवं व्यय का मदवार विवरण नहीं दर्शाया गया था।
4. नगर निधि रोकड़ बही में ₹191870.00 जनवरी 2013 के प्राप्ति को नहीं दर्शाया गया था।

(विवरणी सं.– 1 पर)

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) एन0एस0डी0पी0 योजना समाप्त हो गई। इस के तहत कुछ योजनाओं का भुगतान लम्बित है। उनके भुगतान पर राशि का उपयोग कर लिया जायेगा।

(ii) वित्तीय विवरणी के क्रमांक 4 में अंकित SJSRY खाता की अन्तर राशि समाधित कर दिखा दिया जायेगा।

(iii) वित्तीय विवरणी के क्रमांक 8 में अंकित नगर निधि का अन्तिम शेष बैंक से कैशबुक के अनुसार समाहित है। अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में दर्शाये गये अन्तिम शेष के संबंध में मिलान कर इसका समाधान कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) मदवार विवरणी तैयार कर उपस्थापित किया जायेगा।

(v) नगर निधि खाता में प्राप्ति भाग की राशि ₹191870.00 कैशबुक में भूल से अंकित नहीं हुआ था। तथापि अलग पृष्ठ पर प्राप्ति का विवरणी कैशबुक में संलग्न है। उसे कैशबुक में अंकित कर अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

उपरोक्त आपत्तियों का समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

भाग– II क –शून्य

भाग– II ख

कंडिका सं.– 15(i) कम जमा

नगर परिषद, सासाराम के अंकेक्षण में उपलब्ध करये गए विविध रसीद की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा काटी गयी रसीद सं0 8924 दिनांक 29.01.13 को ₹540.00 की प्रविष्टि पाई गयी। पर रोकड़पाल की रोकड़ बही में ₹450.00 की प्रविष्टि पाई गई।

अतः अन्तर की राशि ₹90 (540– 450) को नगर निधि में जमा नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

विविध रसीद सं0– 8924 दिनांक 29.01.2013 से (540– 450) = ₹90 कम जमा राशि विविध रसीद नं0– 4361 दिनांक 23.09.14 से नगर परिषद कोष में जमा किया गया है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। ₹90 को बैंक में जमा करने का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इसे बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका सं.– 15(ii) कम जमा/नहीं जमा होल्डिंग कर

नगर परिषद, सासाराम के लेखाओं के लेखापरीक्षा की नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्न तहसीलदारों द्वारा होल्डिंग टैक्स की राशि नगर परिषद् सासाराम के कोष में कम जमा/नहीं जमा है। विवरण निम्न है–

क0सं0	रसीद सं0	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा/नहीं जमा	तहसीलदार का नाम
01	5984	21.03.13	2726.00	0	2726	श्री विजय सिंह
02	8853	13.08.13	2104.00	1942.00	162	श्री देवेन्द्र
		कुल योग	4830.00	1942.00	2888.00	

अतः कम जमा/नहीं जमा राशि ₹2888.00 को नगर परिषद, सासाराम के कोष में जमा नहीं किया गया। ₹2888.00 को बैंक में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इसे बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि– .

फार्म एच0 रसीद सं0– 5984 दिनांक 21.03.2013 की कम जमा राशि ₹2726.00 विविध रसीद सं0 4315 दिनांक 17.09.2014 से तथा फार्म एच रसीद सं0 8853 दिनांक 13.08.2013 से कम जमा राशि 162.00 विविध रसीद नं0 4314 दिनांक 17.09.2014 से नगर परिषद कोष में जमा कर दिया गया है।

कंडिका सं0– 16 होल्डिंग कर की बकाया राशि की वसूली नहीं ₹256.18 लाख

मकान कर, शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर आदि से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, परंतु 2012–13 एवं 2013–14 के मॉग एवं वसूली से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया था जिसके अनुसार 31.03.14 तक कुल बकाया राशि ₹25618700.00 के विवरण निम्न है–

	2012–13	2013–14
कुल होल्डिंग	19546	19873
कुल माँग	34255548	35013306
कुल वसूली	9939615	9394606
कुल बकाया	24315933	25618700 (31.03.14)

उपर्युक्त राशि के अभी तक बकाया रहने एवं नगर परिषद् द्वारा वसूली हेतु किए गए प्रयास से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

बकाया कर की वसूली के लिए बकायादारों को सूचना निर्गत किया जा रहा है। बकाया की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। अतः राशि ₹25618700.00 की वसूली कर संबंधित निधि में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 17 एस0जे0एस0आर0वाई0

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एस0जे0एस0आर0वाई संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि संचिका के ज्ञापांक 1879, दिनांक 16.10.12 के अनुसार सुखदेव एवं महिला विकास समिति को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया गया जिसके तहत 109 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना था। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत संस्था के द्वारा 30 प्रतिशत प्रशिक्षाणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना था, परंतु इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है। संस्था को प्रशिक्षण देने के लिए ₹587000 भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है–

क0सं0	**संस्था**	**चेक सं0**	**भुगतान की राशि (रु)**
01	सुखदेव एवं महिला विकास समिति	296211/26.03.13	195000.00
02	सुखदेव एवं महिला विकास समिति	302707/23.07.13	392000.00
			587000.00

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को टूल/किट्स दिए जाने का कोई प्रमाण संचिका में नहीं पाया गया।
2. संचिका में प्रशिक्षण/टूल–किट्स आदि के अभिश्रव नहीं पाए गए थे। बिना अभिश्रव के उपर्युक्त राशि का भुगतान कर दिया गया।

103

3. संस्था द्वारा रोजगार के लिए 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार देना था, परंतु रोजगार उपलब्ध कराने का प्रमाण नहीं पाया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i)&(ii) वर्णित संस्था सुखदेव महिला विकास समिति द्वारा टूल किट्स वितरण नहीं किया गया है न ही टूल किट्स की राशि का भुगतान किया गया है। प्रशिक्षण कार्य कराने का आंशिक भुगतान किया गया है।

(iii) संस्था द्वारा रोजगार से संबंधित प्रतिवेदन लेकर ही तथा टूल किट्स वितरण कराकर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।

अतः संस्था से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिए जाने तक राशि ₹587000.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0–18 संचार मोबाईल टावर के अपंजीकृत रहना एवं ₹1168000.00 शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार नगर परिषद के पंजीकरण शुल्क ₹40000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹10000 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपरोक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षो की संस्था के आधार पर लिया जाएगा।

नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया था परंतु मोबाईल टावर विवरणी उपलब्ध कराया गया जिसके अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र में 61 टावर अधिक स्थापित थे जिनमें 40 टावर नगर परिषद द्वारा पंजीकृत एवं 21 टावर अपंजीकृत थे। उपरोक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाईल टावर पर कुल ₹1168000 बकाया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने के लिए निकाय द्वारा क्या प्रयास किए गए है।
2. मोबाईल टावर पर बकाया शुल्क की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

सभी मोबाईल टावरों को नोटिस निर्गत किया जा रहा है। तदनुसार निबंधित कराकर उपस्थापित किया जायेगा।

सभी मोबाईल टावरों से बकाया वसूली के नोटिस निर्गत किया गया है। तदनुसार अनुपालन किया जायेगा।

उत्तर के आलोक में राशि वसूलकर ₹1168000 संबंधित निधि में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 19 सैरात

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सैरात संचिका की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न सैरातों की बंदोबस्ती नहीं की गई थी, जबकि विभागीय वसूली की गयी थी। विभागीय वसूली के कारण 2012–13 एवं 2013–14 में प्राप्त हुआ विवरण निम्न है –

(1) 2012-13			
क0सं0	**सैरात नाम**	**सुरक्षित जमा राशि**	**विभागीय वसूली**
1	रिक्शा ठेला, बैलगाड़ी, साईकिल नगर क्षेत्र	100000.00	9000.00
2	मछली, मार्केट नगर परिषद क्षेत्र	550000.00	55115.00
3	वधशाला	75000.00	20540.00
4	मुर्गा, मुर्गी, अंडा, मॉस बेचने वाला वसूली	125000.00	25780.00
5	फल, सब्जी	300000.00	69102.00
6	ईट, गिट्टी, बालू	360000.00	97300.00
		1510000.00	276837.00
(2) 2013-14			
क0सं0	**सैरात नाम**	**सुरक्षित जमा राशि**	**विभागीय वसूली**
1	गोला बजार	319000.00	243093.00
2	रिक्शा ठेला, बैलगाड़ी, साईकिल नगर क्षेत्र	100000.00	28010.00
3	मुर्गा, मुर्गी, अंडा, मॉस बेचने वाला वसूली	120000.00	29095.00
4	फल, सब्जी	260000.00	84585.00
5	वधशाला	75000.00	22030.00
		874000.00	406813.00

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति –

2012–13 एवं 2013–14 के सैरात में कुल सुरक्षित जमा राशि ₹2384000 (1510000+ 874000) थी। जबकि विभगीय वसूली में सिर्फ ₹683650 (276837+ 406813) की वसूली की गई। इस प्रकार ₹1700350 (2384000- 683650) के राजस्व की हानि हुई।

मछली मार्केट बंदोबस्ती में एकरारनामा नहीं करने से ₹12150 राजस्व की हानि हुई विवरण निम्न है–

(2013–14)

सैरात	**बंदोबस्ती राशि**	**एकरारनामा की राशि 3%**	**बंदोबस्तीधारक**
मदली मार्केट बंदोबस्ती	405000	12150	श्री संतोष सिंह

उपरोक्त संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि मछली मार्केट बंदोबस्ती में एकरारनामा नहीं किया गया था।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

मछली मार्केट से वर्ष 2013–14 के लिये एकरारनामा स्टाम्प शुल्क की राशि ₹12150.00 जमा करने हेतु संबंधित संवेदक को सूचना निर्गत किया गया है। राशि जमा कराकर अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

अतः उपयुक्त राशि की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 20 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं ₹4956408

शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर (होल्डिग कर) के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया था। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रुप में वसूली गयी राशि, राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकाय को वसूल किए गए राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था परंतु इसे जमा नहीं किया गया। उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि का विवरण निम्न है–

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थ्य उपकर की राशि
कुल राजस्व (घटाव वसूली प्रभार 10 प्रतिशत)	2753465 (-) 275347	2753656 (-) 275366
सरकारी खाता में जमा नहीं राशि	2478118	2478290

कुल जमा नहीं राशि ₹4956408

नगर परिषद द्वारा ₹4956408 की राशि संबंधित निधि में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य व्यय पर किया गया था।

संबंधित निधि में जमा नहीं करने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

नगर निकायों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़े कार्य नागरिकों को मुहैया कराया जाता है। राशि जमा करने के संबंध में प्रस्ताव नगर परिषद बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

अतः राशि ₹4956408 जेमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 21(i) दुकान किराया की बकाया राशि ₹5228250.00 की वसूली नहीं

लेखापरीक्षा में दुकान किराया पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया था परंतु दुकान किराया संबंधी विवरणी लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया। जिसके अनुसार मार्च 2014 तक दुकान किराया के रुप में ₹5044826 बकाया था। विवरण निम्न है–

-: अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में वार्षिक कार्य ब्यौरा/प्रतिवेदन ::वर्ष :-

कोटिक्रम संख्या (यदि कोई हो) :-

सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा भरा जायेगा	प्रतिवेदन पदा० का मंतव्य	समीक्षा पदा० का मंतव्य	स्वीकरण पदाधिकारी का मंतव्य

1- कर्मचारी का नाम/पदनाम :-

2- शैक्षणिक योग्यता :-

3- विभागीय दायित्वों को पूरा करने की स्थिति :-

(क) विभागीय परीक्षा :-

(ख) हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण परीक्षा :-

4- वर्ष में पूरा किया गया प्रशिक्षण :-

5- कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा :-

(स्थान एवं पदस्थापन अवधि या)

(क) लक्ष्य एवं प्राप्ति (यदि निर्धारित हो) :-

(ख) प्राप्त पत्र एवं निष्पादित पत्र :-

(ग) लेखा बहियों/सेवापुस्त/रक्षी पंजी/अन्य संधारित पंजियों में संधारण की स्थिति :-

7- कोई विशेष कार्य यदि किया गया :-

8- कदाचार/कर्तव्यहीनता/गबन इत्यादि का यदि कोई आरोप विचाराधीन है अथवा सजा दी गई है तो संक्षिप्त ब्यौरा :-

9- उपस्थिति/लिखावट/अनुशासन/कार्यों/आचरण :-

(यह केवल प्रतिवेदन/समीक्षी/स्वीकरण पदाधिकारी लिखेंगे।)

सम्बन्धित कर्मचारी का हस्ताक्षर	प्रतिवेदन पदा० का हस्ताक्षर	समीक्षी पदा० का हस्ताक्षर	स्वीकरण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

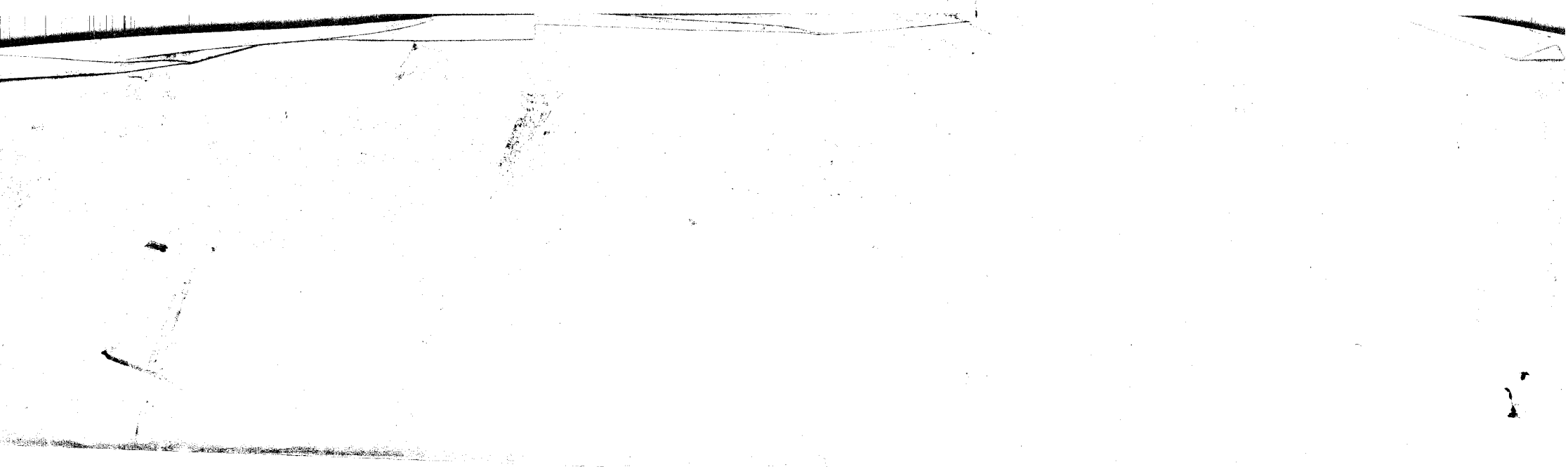

क0सं0	दुकान का नाम	31.03.14 को दुकान किराया के रुप में बकाया राशि (रु)
1	अनुमंडल कार्यालय के पास स्थित दुकानदारों की सूची	592802.00
2	बस पड़ाव स्थित दुकानों की सूची	3204840.00
3	जेल के दक्षिण के दुकानों की सूची	160790.00
4	जेल के पूरब के दुकानदारों की सूची	244704.00
5	नरसिंह बैठा बाजार के दुकानों की सूची	295534.00
6	टाउन हाई स्कूल के पास स्थित दुकानदारों की सूची	112200.00
7	सिंचाई कार्यालय परिषद स्थित दुकानदारों की सूची	225500.00
8	सदर अस्पताल गेट के सटे स्थित दुकानदारों की सूची	133080.00
9	समाहरणालय के सामने पूरब स्थित खोवा दुकान की सूची	258800.00
		5228250.00

उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा क्या उपाय किए गए है, यह लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

(i) दुकान किराया वसूली हेतु संबंधित व्यक्तियों को सूचना निर्गत किया गया है। तदनुसार वसूली की जायेगी। अतः ₹5228250 की वसूली यथाशीघ्र की जाय।

कंडिका सं0– 21(ii) सेवाकर की वसूली नहीं ₹107351.00

विविध नियम 1994 की धारा 68 एवं सेवाकर नियमावली 06 के अनुसार दुकानदार से किराया के साथ सर्विस कर 10.3 प्रतिशत की दर से वसूली का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत मार्केट शाखा विवरणी के अनुसार 2012–13 एवं 2013–14 में कुल ₹503691 एवं ₹538551 की वसूली की गई थी। इस प्रकार कुल ₹1042242 (503691+ 538551) की वसूली में 10.3 प्रतिशत वसूली अर्थात ₹107351 (1042242@ 10.3%) सेवाकर की वसूली नहीं की गई थी।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि– दुकान किराया पर सर्विस टैक्स की वसूली नहीं की गई है। भविष्य के लिये अंकित किया जा रहा है।

अतः राशि ₹107351.00 की वसूली की जाय।

कंडिका सं0– 22 दस हाइड्रोलिक टीपर कय में अधिक भुगतान ₹48955.00

लेखापरीक्षा में उपलब्ध हाइड्रोलिक टीपर कय संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2259 न0प0 दिनांक 18.12.12 के अनुसार गया हार्डवेयर मार्ट स्टेशन रोड गया से ₹265500.00 प्रति टीपर की दर से दस अदद हाइड्रोलिक टीपर कय करने का आदेश दिया गया जिसके तहत ₹315790 वैट की कटौती एवं ₹46780 आयकर कटौती (2 प्रतिशत) कर ₹2292430 का भुगतान किया गया था। विवरण निम्न है–

क्रय की गई स्थल	मूल्य	कुल मूल्य	वैट कटौती की राशि 13.5 %	कटौती कि जानेवाली राशि	अंतर
10 हाइड्रोलिक टीपर	265500 (प्रति टेम्पु)	2655000	315790	358425	42635
तथैव	तथैव	2655000	46780 (आयकर कटौती)	53100	6320
					48955

लेखापरीक्षा अभियुक्ति–

1. उपर्युक्त विवरण के अनुसार ₹48955 की कम कटौती कर संस्था को अधिक भुगतान किया गया था।
2. हाइड्रोलिक टीपर का उपयोग ठोस अपशिष्ट पदार्थों की दुलाई में करना था। वर्त्तमान में इसका उपयोग उक्त कार्य के लिए किया जा रहा है या नहीं यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

अधिक भुगतान के संबंध में मिलान कर संबंधित फर्म को सूचना निर्गत किया जायेगा। गारन्टी– वारन्टी कार्ड संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

हाईड्रोलिक टेम्पु– टीपर का उपयोग ठोस अपशिष्ट निष्पादन कार्य में कुड़ा सफाई के लिये किया जाता है।

अतः अधिक भुगतान की राशि ₹48955 वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 23 श्रम उपकर की कटौती नहीं

वर्ष 2007–08 में बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। जिसमें सभी प्रकार के निर्माण कराने वाले केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्रों में ₹10 लाख से अधिक लागत से निर्माण होने वाले व्यक्तिगत भवन, अपार्टमेंट पर कुल लागत की 1 प्रतिशत राशि सेस के रूप में काटकर निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों के संचालन हेतु कल्याण बोर्ड में जमा करना था। परंतु नगर परिषद कार्यालय सासाराम ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार उपकर की कटौती राशि ₹79505.00 नहीं किया गया था। (विवरणी सं.– III)

इस प्रकार संबंधित संवेदकों से श्रम कर की राशि वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया है कि श्रम उपकर कटौती का मिलान कर तदनुसार अनुपालन किया जायेगा।

अतः राशि ₹79505.00 वसूलकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 24 वैट की राशि के एवज में फार्म– III नहीं प्राप्त किया जाना

नगर परिषद, सासाराम वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वाउचरों के अंकेक्षण की नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि कुल देय राशि में से वैट की राशि को भुगतान के एवज में फार्म सी0–III साक्ष्य के रूप में लिया जाना था। विवरण निम्न है–

198

वाउचर सं0 / वित्तीय वर्ष	पृष्ठ सं0	फर्म का नाम	वैट की राशि रू0 में 5%	वैट की राशि रू0 में 13.5%	राशि रू0 में	कुल भुगतान	अभ्युक्ति
02 / 12–13	02	शंकर इक्विपमेंट लिमिटेड	1499		29980	31479	
24 / 12–13	73	न्यू सासाराम मोटर पार्टस	09		180	189	
27 / 12–13	54	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	231.65	137.16	5649	6017.81	
27 / 12–13	56	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	119.75	12..42	2487	2619.17	
47 / 13–14	242	न्यू जनता ग्लास स्टोर		111.325	825	936.325	
47 / 13–14	243	न्यू जनता ग्लास स्टोर		19.44	144	163.44	
61 / 13–14	192	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	237.95	25.38	4947	5210.33	
47 / 12–13	244	न्यू जनता ग्लास स्टोर	15.22		112.72	127.94	
61 / 12–13	203	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	34.75	32.40	719	786.15	
61 / 12–13	185	तारा प्रिन्टिग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	150		3000	3150	
61 / 12–13	189	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	118.05		2361	2479.05	
137 / 12–13	112	सासाराम मिल स्टोर	97		1940	2037	
160 / 12–13	59	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	10.10	3.24	226	239.34	
160 / 12–13	56	तारा प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी आर्डर सप्लायर	15.50	8.23	371	394.73	
182 / 12–13	125	जी0 डी0 खण्डेलवाल	197		3940	4137	
182 / 12–13	124	जी0 डी0 खण्डेलवाल	227		4540	4767	
182 / 12–13	126 से 127	जी0 डी0 खण्डेलवाल	1619.95		32399	34018.95	
289 / 12–13	30	शंकर इक्विपमेंट लिमिटेड	1002		230400	231402	
		कुल	5583.92	349.595			

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त फर्म को कुल भुगतान राशि ₹5933.515 वैट की राशि समेत भुगतान किया गया है। उपरोक्त फर्म को वैट की राशि के भुगतान करने के पूर्व उससे फार्म सी0–III का साक्ष्य प्राप्त किया जाना था। फार्म सी0–III प्राप्त किया गया या नहीं यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया है कि वर्णित विवरणी की सामग्री दिन प्रति दिन के आकस्मिक कार्यों रिक्शा–ठेला मरम्मति आदि से संबंधित है जो अति कम लागत राशि की है। भविष्य के लिए इसे अंकित किया जायेगा एवं विपत्र पर ही भुगतान किया जायेगा।

अतः उत्तर के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

कंडिका सं0– 25 कार्य पूर्ण होने में विलम्बता के एवज में शास्ति

संचिकाओं की नमूना जाँच के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया कि संवेदक द्वारा न तो समय वृद्धि का आवेदन दिया गया था न ही क्षतिपूर्ती शुल्क की कटौती की गयी थी।

विवरणी संलग्न है। (विवरणी सं.– IV)

अतः बिहार लोक निर्माण विभाग Schedule XLV From No-61 की संवेदक की शर्ते Clause-2 के अनुसार कार्य को निर्धारित समय में पूरा नही किये जाने पर प्रतिदिन ½ प्रतिशत की दर से या अधिकतम प्राक्कलन के 10 प्रतिशत विलम्बता के एवज में शास्ति वसूलने का प्रावधान है। इस प्रकार से उक्त नियम के आलोक में वर्णित विवरणी के अनुसार सभी संवेदको से राशि ₹766467.00 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

जवाब में बताया गया है कि विवरणी में अंकित योजनाओं के संबधं में मिलान कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उत्तर के आलोक में राशि ₹766467.00 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0– 26 योजना (चतुर्थ)

योजना सं0	03/2012–13
योजना का नाम	वार्ड नं0 3 मु0 तकिया में अर्थ वर्क ईंट सोलिंग एवं होम पाईप कलभर्ट निर्माण कार्य
प्रा0 राशि	₹492600.00
तकनीकी स्वीकृति	22.11.12
कार्यादेश	13.02.13

1. योजना के प्राक्कलन के अनुसारः– क्र0सं0(1) providing E/W in road with ordinary soil, including all complete jobs में निर्धारित राशि –₹11595.00

   100' के लिए – ₹11595

   675' के लिए – 11595X675/100=₹78266

   मापी कुल के क्र0सं0 (1) के अनुसार

   कार्य की गई राशि =₹92944.00

कार्य में अधिक भुगतान की गई राशि =(92944-78266)= ₹14678(18%)

2- योजना के प्राक्कलन के अनुसार :– क0सं0 (3) Provding 100A B/on edge soiling joint filled with load soil =28283

100' के लिए =₹28283

67' के लिए =28283X675/100= ₹190910

मापी पु0 के अनुसार क0सं0 में भुगतान की गई राशि =₹237485

कार्य में अधिक भुगतान =237485-190910 =₹46575 (24%)

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. उपर्युक्त विवरण में मापी पुस्तिका के अनुसार ₹61253 (46575+ 14678) का क0सं0 (1) एवं क0सं0(3) में प्राक्कलन से अधिक कार्य करा कर भुगतान पाया गया। नियमतः प्राक्कलन से ±10% अधिक या कम कार्य करना है। जबकि क0सं0(1) एवं (3) में 18% से 24% ज्यादा कार्य किया गया था।
2. योजना कार्य के पूर्ण होने का पूर्णता प्रमाणपत्र संचिका में नहीं पाया गया।
3. संचिका में कार्य के गुणवत्ता प्रमाण –पत्र नहीं पाया गया था।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

प्राक्कलन एवं कार्य के अन्तर के संबंध में संबंधित वस्तुस्थिति की समीक्षा कर संबंधित को सूचना निर्गत किया जायेगा।

कार्य पूर्णता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थापित किया जायेगा। गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उपस्थापित किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त जवाब के स्पष्टीकरण दिए जाने तक ₹61253 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0– 27 सोलर लाईट के कय के भुगतान वैट एवं टी0डी0एस0 की कटौती नहीं

सोलर लाइट के अभिलेखों के अवलोकन से यह मामला प्रकाश में आया कि सोलर लाइट का कय नगर परिषद निधि /चतुर्थ वित्त/बी0आर0जी0एफ0/13 वीं वित्त के मद से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक सम्पूर्ण कय राज इलेक्ट्रॉनिक्स गॉधी पथ, सासाराम से किया गया। सभी सोलर लाईट का कय ₹27200.00 की दर से की गई जिसमें सभी कर भी शामिल हैं। (जिला विकास कार्यालय/रोहतास सासाराम के पत्रांक 1090 दिनांकः–10.12.09 के आदेशानुसार)। पर नगर परिषद कार्यालय द्वारा वैट एवं टी0डी0एस0 काटे बिना भुगतान कर दिया गया। विक्रेता द्वारा भी वैट एवं टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग को चालान द्वारा जमा किया गया या नहीं साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। विक्रेता ने एकरारनामा में वैट और टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग में जमा कर चालान नगर परिषद कार्यालय को समर्पित करने की बात कही थी।

सोलर लाईट के भुगतान से संबंधित सूचनाएँ विवरणी– V मे संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट में स्पष्ट प्रावधान है कि टी0डी0एस0 (194 सी0 1 के तहत) ₹30000 से अधिक अचल सम्पत्ति के क्रय की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी चाहिए। टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग में चालान द्वारा विलम्ब से जमा करने पर विक्रेता को भुगतान की प्राप्ति की तिथि से सात दिन के भीतर संबंधित विभाग में जमा करना था अन्यथा 1.5 प्रतिशत/माह की दर से शास्ति और अधिकतम टी0डी0एस0 के मूल्य के बराबर शास्ति करने का प्रावधान है। कटौती की गई टी0डी0एस0 कर का अनुसूचित समय से जमा नहीं करने पर संबंधित विभाग (नगर परिषद) पर 12 प्रतिशत/वर्ष की दर से शास्ति करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण टिप्पणी–

नगर परिषद कार्यालय द्वारा अबतक कुल ₹264384.00 टी0डी0एस0 एवं कुल ₹524960.00 वैट के साथ बिल का भुगतान विक्रेता को किया गया। विक्रेता द्वारा वैट एवं टी0डी0एस0 को संबंधित विभाग को चालान द्वारा जमा किया गया है/उसका प्रमाणपत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

- नगर परिषद कार्यालय द्वारा अबतक कुल ₹181152.00 टी0डी0एस0 एवं कुल ₹160480.00 वैट कटौती की गयी। उसका संबंधित विभाग में जमा का साक्ष्य/चालान को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।
- बैटरी की वारंटी 3 वर्ष एवं पोल की वारंटी 5 वर्ष का वारंटी कार्ड को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- सोलर लाईट के अधिष्ठापन कार्य को समिति द्वारा सत्यापित दस्तावेज को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- सभी सोलर लाईट की प्रविष्टि की जॉच हेतु भंडार पंजी को अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

जवाब में बताया गया है कि विवरणी के क्रमांक 3, 4, 6, 10, 11 पर अंकित सेल टैक्स (Vat) एवं TDS (आयकर) की कटौती राशि संबंधित विभाग को चालान से जमा कर दिया गया है। जिसका अवलोकन अंकेक्षण दल द्वारा कर लिया गया है शेष की राशि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं जमा किया गया है जिसे प्राप्त कर अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा तथा सोलर लाईट के भंडार पंजी से प्रविष्टि भी अंकेक्षण दल द्वारा सत्यापित कर लिया गया है। बैटरी का वारंटी कार्ड संचिका में लगा था जिसमें नहीं था उसे उपस्थापित किया जायेगा।

इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाइ की जाय।

10

TAN

कंडिका सं0– 1 अनुदान की स्थिति

लेखापरीक्षा में उपलब्ध अनुदान पंजी/रोकड़ बही के अनुसार 2012–13 एवं 2013–14 के अनुदान के प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्न है–

वर्ष	2012–13	2013–14
प्रारंभिक शेष	94963851	103047964
प्राप्ति	68791917	119721221
ब्याज	————————	221666
कुल	163755768	222990851
व्यय	60707804	100138905
अंतशेष	103047964	122851946

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति–

1. 31.03.14 को राशि ₹122851946 अवरोधित थी।
2. 2012–13 में क्र0सं0 23 (चतुर्थ राज्य के असम्बद्ध अनुदान राशि) एवं क्र0सं0 26 (ई0 गर्वेनेन्स) के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया एवं राशि अवरोधित थी।
3. 2013–14 में क्र0सं0 5 (कबीर अन्त्येष्टि), क्र0सं0 14 (विधान पार्षद द्वारा चापाकल लगाने का कार्य) क्र0सं0 27 (ई–गर्वेन्स) क्रं0सं0 28 (प्रशासनिक भवन निर्माण अनुदान) एवं क्र0सं0 33 (पेशाकर) मद में कोई व्यय नहीं किया गया एवं राशि अवरोधित थी।

आपत्ति के जवाब में ये बताया गया कि–

प्रायः वर्ष 2013–14 के अन्तिम माह में अनुदान की राशि प्राप्त हुई है जिसका उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाना संभव नहीं था। उक्त राशि को अगले वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपयोग किया गया है।

क्रमांक 23 एवं 26 पर अंकित राशि का उपयोग आगामी वर्ष में कर लिया जायेगा। तदनुसार अंकेक्षण के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

उल्लेखित कबीर अंत्येष्टि योजना, पार्षद, चापाकल राशि का उपयोग आगामी वर्ष में कर लिया गया है। बस पड़ाव एवं प्रशासनिक भवन की राशि से कार्य हेतु निविदा आमंत्रित प्रक्रिया में है। तदनुसार राशि उपयोग कर लिया जायेगा।

उतर के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

कंडिका सं0– 2 एस्टीमेट/आर्डर एस्टीमेट फार्म को बिल के रूप में स्वीकृति

नगर परिषद, सासाराम के वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वाउचरों की नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि बिलों को स्वीकृत करने के कम में निम्नलिखित सूचनाएँ पायी गयी, जो इस प्रकार है–

वाउचर सं.	वितीय वर्ष	पृष्ठ सं.	फर्म	समान	कुल भुगतान रू0 में	अभ्युक्ति
91	12-13	333	जे0 आर0 इण्टरनेशनल	चक्का	110	
107	12-13	96	जे0 आर0 इण्टरनेशनल	साइकिल रिक्शा का सामान	902	
107	12-13	95	जे0 आर0 इण्टरनेशनल	साइकिल रिक्शा का सामान	1873	
107	12-13	98	जे0 आर0 इण्टरनेशनल	साइकिल रिक्शा का सामान	105	
107	12-13	97	जे0 आर0 इण्टरनेशनल	साइकिल रिक्शा का सामान	1140	
109	12-13	135	किसान ट्रैक्टर पार्टयस	पार्टयस	250	
109	12-13	129	किसान ट्रैक्टर पार्टयस	पार्टयस	3280	
135	12-13	46	किसान ट्रैक्टर पार्टयस	पार्टयस	3747	
136	12-13	105	किसान ट्रैक्टर पार्टयस	पार्टयस	625	
136	12-13	107	किसान ट्रैक्टर पार्टयस	पार्टयस	524	
164	12-13	192	कमाल साड़ी सेन्टर	गददा	140	
164	12-13	190	कमाल साड़ी सेन्टर	मारकिन	200	
165	12-13	195	न्यू स्वामी इलेक्ट्रिकलस	एक्शटेशन कार्ड	120	
165	12-13	196	न्यू स्वामी इलेक्ट्रिकलस	पंखा रॉड	50	
				कुल	13066	

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि एस्टीमेट/आर्डर एस्टीमेट फार्म को बिल के रूप में स्वीकृति दी गयी जो किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि–

वर्णित विवरणी में उल्लेखित सामग्रियॉ यथा लेखन सामग्री वाहनों की मरम्मति आदि छोटे कार्यो से संबंधित है।

इसे भविष्य के लिए अंकित किया जा रहा है।

कंडिका सं0– 3 निरस्त

कंडिका सं0– 4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा रख– रखाव)

नगरपालिका धारा–10 के उपबंधों के अधीन नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को लागू करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एव संचालन को विनियमित करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान से संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उत्तरदायी होगी।

विभिन्न चालकों द्वारा उपलब्ध कराये गये संधारित लॉगबुक की नमूना जाँच से स्पष्ट होता है कि उन लोगो द्वारा कूड़ा को यहॉ– वहॉ (नदी के बगल में नहर चार्ट, अस्पताल छवकोनवा सागर कॉलेज एस0पी0 जैन कॉलेज के गेट के पास स्टेडियम) फेंका गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति –

1. क्या निगम द्वारा कचरा जमाव के लिए कोई जमीन अधिकृत की गई थी।
2. वर्तमान में शहर का कचरा जमाव कहां किया जाता है।
3. निगम द्वारा प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए गए है।
4. क्या निगम का कोई ट्रेचिंग ग्राउंड है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के जवाब में बताया गया है कि –

(i) कचरा जमाव के लिए नगर परिषद की जमीन अभी विवादित है तथा मामला न्यायालय में लम्बित है।

(ii) वर्तमान में शहर का कचरा नगर से बाहर गढों में फेंका जाता है।

(iii) नगर परिषद द्वारा सफाई उपकरणों से कचरा तथा आउट सोर्सिंग के तहत कचरा उठाव का प्रबंधन किया जाता है।

(iv) नगर परिषद का अपना ट्रेचिंग ग्राउन्ड है जो विवादित है तथा मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
———सह———
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

नगर परिषद सासाराम

लेखा वर्ष - 2012-13 एवं 13-14 (9)

(परिशिष्ट - I)

कंडिका सं 3 .. में संदर्भित

प्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच अंकेक्षण में किया गया।

(1.) P/L रोकड़बही
(2.) सहायक रोकड़ बही
(3.) योजना पंजी
(4.) बजट
(5.) बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
(6.) रनिंग स्कीम / विविध स्कीम
(7.) भंडार पंजी
(8.) वेतनावली संचिका
(9.) मोबाईल टावर विवरणी
(10.) स्वीकृत एवं कार्यरत बल सूची
(11.) अनुदान पंजी / विवरणी
(12.) दैनिक संग्रहण पंजी
(13.) अभिश्रव (आंशिक)

AAO